



राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।

क्रमांक प.2(13)/ओ एण्ड एम/आ.कृ./2021/4212-4365


दिनांक 26-11-2021

कार्यालय आदेश

प्रायः विभाग में कार्यरत/पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष की स्वीकृति बिना ही अवकाश पर चले जाते हैं, जिससे राजकीय कार्य बाधित होता है तथा नियमों के विपरीत है।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करावें कि वे सभी प्रकार के अवकाश (विशेष परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) का सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही उपभोग करें, जिससे राजकीय कार्य बाधित ना हो।


उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं होने पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी एवं अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।


26/11/21
(डॉ ओम प्रकाश)
आयुक्त, कृषि एवं
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांक प.2(13)/ओ एण्ड एम/आ.कृ./2021/4212-4365
प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 26-11-2021

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, एवं पंचायती राज (कृषि), मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा/समेती (आत्मा) जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान), मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, कृषि (समस्त), मुख्यालय/दुर्गापुरा, जयपुर।
7. उप सचिव, राजस्थान किसान आयोग, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त खण्ड।
9. उप निदेशक, कृषि (सूचना/अभियान्त्रिकी/बीज), मुख्यालय।
10. एसीपी (उप निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/आत्मा/एटीसी, समस्त।
12. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त।
13. केयर टेकर, मुख्यालय।
14. आरक्षी पंजिका।


26/11/21
(के0 सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)